MERCHANTS' CHAMBER OF UTTAR PRADESH
ESTD. 1932

Sakhi Kendra
Regd. No. 1814

प्रकाशनार्थ 11.01.2020

दिनांक 11 जनवरी 2020 को मर्चेन्ट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश व सखी केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं के साथ बढ़ रही महिला हिंसा की घटनाओं पर कानपुर के प्रबुद्धजनों के साथ 'महिला हिंसा के विरूद्ध ठोस रणनीति और पहल' पर गोष्ठी/गहन चर्चा का आयोजन दोपहर 3:45 से शाम 6:30 बजे तक किया गया।

इस गोष्ठी की अध्यक्षता मर्चेन्ट चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मुकुल टंडन जी ने की।

सखी केन्द्र की महामंत्री सुश्री नीलम चतुर्वेदी जी ने चर्चा में आये सभी प्रबुद्धजनो का स्वागत करते हुये विषय प्रवेश एवं कार्यक्रम का संचालन किया।

सखी केन्द्र की अध्यक्ष आशा त्रिपाठी जी ने कहा कि बेटियों और बेटो दोनो को सही शिक्षा सही संस्कार सही चरित्र निर्माण देने से ही इस समस्या का निदान संभव है। कानून ऊपरी सहायता कर सकता है लेकिन मूल रूप से चरित्र निर्माण ही इस समस्या का हल है।

मर्चेन्ट चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मुकुल टंडन जी ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि महिला हिंसा की वजह से हमारा देश कई मामलों में पिछड़ जाता है इसजिए बेहतर रणनीति बनाकर हमें लगातार लड़की और लड़के में भेदभाव खत्म करने के लिए कार्य करने की जरूरत है और इसे सबसे पवित्र कार्य समझ कर करना होगा ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी की सोच बेहतर हो सके।

सखी केन्द्र की महामंत्री सुश्री नीलम चतुर्वेदी जी ने कहा कि महिला हिंसा को खत्म करने के लिए हमें एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है जिसके तहत लोगों की सोच को बदलने की लैंगिक समानता को लाने की मुहिम अभियान शुरू करना होगा लगातार कार्यक्रम करने होंगे स्कूल कॉलेजेस बस्तियों में छोटे-छोटे से प्रोग्राम से लगाकर बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम करने होंगे जिसमें अधिक लोग आएं और उनकी सोच में परिवर्तन हों।

अब सखी केन्द्र के पास जितने भी महिलाओं पर हिंसा से संबंधित केसेस आएंगे जिनकी न्याय तक पहुंच नही है या उन्हें न्याय की जगह उन्हें मदद की जरूरत है तो वह हम लोग ऑनलाइन में भी डाल देगे ताकि कहीं कोई भी अगर मदद करना चाहता है तो यह देख सकता है कि किस केस में हम किस तरह की मदद करेंगे दूसरे बड़े-बड़े बहुत भव्य कार्यक्रम करेंगे जिसमें अधिक से अधिक लोग हिससा ले क्योंकि बड़ी कार्यक्रमों में जब लोग आएंगे तो एक तो वहां बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जाएंगे और वहां सवालो के साथ-साथ जवाबों के

Merchants Chamber of Uttar Pradesh, Kanpur 14/77, Civil Lines Kanpur
Emai- merchantschamberup@gmail.com, Website : www.merchantschamberup.com
Sakhi Kendra 71 - H.I.G., K.D.A. COLONY, P.A.C. ROAD, E-BLOCK, SHYAM NAGAR KANPUR - 208 013 (U.P.), INDIA
• sakhikendra61@gmail.com • www.sakhikendra.com [Registered under FCRA [Foreign Contribution (Regulation) Act], 80G under income tax, 10A, 12A, NITI Aayog (under Government of India)]

लिए भी सक्षमता रहेगी दूसरा जो भी टिकट व पास से पैसे की आमदनी होगी उससे हम लोग किसी भी हिंसा से पीड़ित उस महिला की जिसके पास न्याय के लिए पैसे नहीं है उनकी हर स्तर पर मदद करेंगे दूसरा जो सरवाईवर हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए भी हम मदद करेंगे।

एडवोकेट करीम सिद्दकी जी ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि महिला हिंसा की जांच करने वाली जो पूलिस विवेचना की टीम होती है वो प्रशिक्षण प्राप्त एवं सेपरेट हानी चाहिये और जांच समय सीमा के अंदर होनी चाहिये। अदालत में भी सेपरेट फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिये वो सिर्फ नाम का कोर्ट नही बल्कि उसके पूरे संसाधन होने चाहिये। हमारा शिक्षा का जो सिलेब्स है उसमें कहीं पर भी पितृसत्तातमक सोच बदलने के लिए क्या करे इसका चेप्टर नहीं है। कक्षा 3 या 5 से ये चेप्टर जरूर होना चाहिये।

डॉ0 अवध दूबे जी ने कहा कि बरसो से यह देश पुरूष प्रधान सोच से ग्रसित रहा है पुरूष महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते हैं अब जबकी महिलायें हमारे कंधे से कंधा मिला कर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं फिर भी पुरूषो की मानसिकता नहीं बदली हैं उनकी यही सोच को बदलनी जरूरी है तभी महिला हिंसा कम हो पायेगी।

डॉ0 एन0के0 सक्सेना जी ने कहा कि परिवार में अगर अच्छे संस्कार दिये जाते है तो इस तरह की प्रवृति नहीं आती है इसलिये बचपन से ही परिवार एवं विद्यालयों में सही शिक्षा एवं संस्कार मिले ताकि उनका सही चरित्र निर्माण हो पाये लेकिन फिर भी यदि इस तरह की घृणित प्रवृति उत्पन्न हो तो उसके रोकथाम के लिये कानून तो बहुत बने है लेकिन उसका सही कार्यान्व्यन होना चाहिये।

डॉ0 जहान सिंह जी ने कहा कि हमे अपनी बच्चियों को थोड़ा वोकल बनाना है ताकि वो अपने माता-पिता से सभी बाते शेयर कर पाये और जब भी बाहर जाये तो अपने माता-पिता को इन्फॉर्म करके जाये। आजकल की जो सोशल नेटवर्किंग साइटे हैं उन्हे जहां तक हो सके अवाइड करें और यदि जुड़ना हो तो उसके बारे में सही से सब पता करके ही जुडे।

डॉ. आरती लाल चंदानी ने “महिलाओं के साथ तेजी से बढ़ती हुई बर्बर घटनाओं” पर बोलते हुए कहा कि इस तरह के केसेस में जजेस की ड्यूटी 24 घंटो की होनी चाहिए ।

महेंद्र नाथ मोदी, सचिव- मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश कहा कि गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों में यह जागरूकता फैलाएं कि वह "Bad Touches" के बारे में तुरंत घर में बताये।

अंत में निष्कर्ष समीक्षा एवं धन्यवाद आशा त्रिपाठी जी ने दिया।

आयोजित सत्र में डॉ. जे.एन. गुप्ता, सिद्दार्थ काशीवार, गोपाल तुलसियान, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश व सखी केंद्र के पदाधिकारीगण व सदस्यगण उपस्थित थे।

Merchants Chamber of Uttar Pradesh, Kanpur 14/77, Civil Lines Kanpur
Emai- merchantschamberup@gmail.com, Website : www.merchantschamberup.com
Sakhi Kendra 71 - H.I.G., K.D.A. COLONY, P.A.C. ROAD, E-BL0CK, SHYAM NAGAR KANPUR - 208 013 (U.P.), INDIA
• sakhikendra61@gmail.com • www.sakhikendra.com [Registered under FCRA [Foreign Contribution (Regulation) Act], 80G under income tax, 10A, 12A, NITI Aayog (under Government of India)]